न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 3/22

GCMS NO 2022/28

1. हरिराम पुत्र आनन्दा जाति मीना निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल मकान न0 105/23 गैर नम्बर 4 विजयपथ मानसरोवर जयपुर

अपीलांट

बनाम

1. गंगासिह पुत्र सत्यनारायण काछी निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. ओम प्रकाश पुत्र गंगाधर
3. निरमा देवी पत्नि ओम प्रकाश मीना
4. रसाल देवी पत्नि रामजीलाल मीना
5. कल्याणी पत्नि चौथमल
6. जसोदा पुत्री चौथमल
7. जिंदाबाद पुत्र चौथमल
8. देवराज पुत्र चौथमल
9. मुकनी पुत्री चौथमल
10. माखन पुत्र चौथमल
11. रामविलास पुत्र आन्नदा(मृतक)

11/1. जमना पत्नि रामविलास, 11/2. रमेश चंद पुत्र रामविलास, 11/3. गंगासागर पुत्र रामविलास, 11/4. मुकेश पुत्र रामविलास, 11/5. मूरता पुत्री रामविलास

12. लखपत पुत्र आंनन्दा समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
13. तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/19 निर्णय दिनांक 18.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री पारस मल जैन

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल बहाव, श्री संदीप शर्मा

दिनांक 17.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थी गंगासिह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि ख0न0 3301 स [illegible] 9 हे0 वाके ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है। प्रार्थी/[illegible] म [illegible] जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 3304, 3307 की पश्चिमी मेड [illegible] व ख0न0 3302 की पूर्वी मेड पर होकर ख0न0 3301 मे जाने हेतु 15 फीट चौडा रास्ता उपल[illegible] कराया जाकर नक्शा [illegible] मे अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 गंगासिह द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 12 हरिराम द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तलबी पूर्ण हुए कोरोना काल के कारण तारीख तब्दील करते हुए बिना पक्षकारो को सूचित किये हुए पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान सारसोप मे ले जाकर विधिक प्रकिया के विपरीत निर्णय पारित किया है। आक्षेपित आदेश मे जिस स्थान पर रास्ता अंकित किया है उसमे से रेस्पो0 संख्या 1 का कभी आवागमन नही रहा है ना ही रास्ता रहा है न वर्तमान मे है। बल्कि रेस्पो0 का आवागमन प्रस्तावित रास्ते के दूसरी और स्थित भूमि मे से है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकारो को बिना सुने ही आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 69 जो की आज्ञापक प्रावधान है की पालना नही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिका मे यह कही भी अंकित नही है कि नियम 69 के तहत स्वयं ने अथवा स्वयं के अधिनस्थ गिरदावर से कोई रिपोर्ट पत्रावली पर ली हो, जबकि नियम के अनुसार गिरदावर से कम स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट मान्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे जो रिपोर्ट ली है वह पटवारी हल्का की रिपोर्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते के संबंध मे कोई जॉच नही की है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार जिन ख0न0 मे से रास्ता प्रस्तावित किया है तथा रास्ता दिया गया है उसमे उन ख0न0 के समस्त खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है और ना ही उन्हे सुना गया है। जबकिं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे उनके नाम अंकित है तथा ऐसे खातेदार भी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान को भी पक्षकार नही बनाया गया है। कोरोना काल के चलते आलोच्य निर्णय की जानकारी नही हो सकी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 10.1.22 को नोटिस के जरिये सूचित किया गया। जानकारी होने पर नकल आदि प्राप्त कर यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि रेस्पो0/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 3301 रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है। रेस्पो/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता ख0न0 3304, 3307 की पश्चिमी मेड व ख0न0 3302 की पूर्वी मेड होकर ख0न0 3301 मे जाने हेतु लघुतम दूरी का रास्ता है। इस हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र कानून धारा 251 ए के तहत पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर रास्ते हेतु काम आने वाली भूमि का डीएलसी दर का दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

गुना राशि का निर्धारण किया जाकर अपीलांट को दिये जाने की शर्त पर कानून निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हो चुकी है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–2076 मे अमल हो चुका है इसी प्रकार नक्शा शीट मे तरमीम हो चुकी इस प्रकार अपीलांट की अपील का कोई औचित्य नही है। अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा रास्ते हेतु 20 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय मे की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तलब की गई। जिसे तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपने पत्र कमांक 2081 दिनांक 3.6.20 के द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को संलग्न कर भिजवाई गई है। जिसके अवलोकन से जाहिर है कि मौके की रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर भिजवाई गई है। जबकि रास्ते के प्रकरणो मे कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से कम स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट कानूनन मान्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब तक पेश नही किया गया है एवं बिना किसी सूचना के ही पत्रावली राजस्व अभियान सारसोप मे नियत कर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य होने से प्रकरण की पुनः विधि सम्यक जॉच एवं अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 14/19 निर्णय दिनांक 18.11.21 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested